ए.

समता नायडू और ए. एन. आर. बनाम.

मध्य प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. (2020 की आपराधिक अपील सं. 367-368) 02 मार्च, 2020

बी.

[उदय उमेश ललित और वाइन सरन**,** जे**.** जे**.]**

न्यायालय प्रक्रिया संहिता, 1973-दूसरी शिकायत-रखरखाव-पहली शिकायत में बुनियादी आरोप थे कि पक्षों के पिता का एक वाहन, उनके पिता की मृत्यु के बाद जाली हस्ताक्षर के साथ बेचा गया था-शिकायतकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि उसके भाई और उसके भाई की पत्नी ने फॉर्म 29 और 30 पर पिता के जाली हस्ताक्षर किए थे और इस तरह के जाली दस्तावेजों के आधार पर "वाहन की बिक्री पर विचार" का लाभ उनके द्वारा प्राप्त किया गया था-न्यायिक मजिस्ट्रेट ने साक्ष्य और प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने के बाद कहा कि कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं मिला और शिकायत खारिज कर दी गई-संशोधन दायर करने के बाद, शिकायतकर्ता ने नई शिकायत दर्ज करने के लिए और अधिक स्वतंत्रता के साथ संशोधन को वापस लेने की मांग की-इसके बाद, उन्हीं आरोपों पर एक और शिकायत दायर की गई थी, लेकिन अतिरिक्त सामग्री के साथ।पहले की शिकायत को खारिज कर दिया गया था जब न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पाया कि कोई मामला नहीं बनाया गया था; पहले की शिकायत का किसी भी तकनीकी आधार पर निपटारा नहीं किया गया था, दूसरी शिकायत में दी गई सामग्री केवल सहायक सामग्री की प्रकृति में थी और दूसरी शिकायत में जिस सामग्री पर भरोसा किया गया था वह ऐसी नहीं थी जो पहले प्राप्त नहीं की जा सकती थी-उल्लेखनीय रूप से, दोनों शिकायतों में मुख्य आरोप समान थे-परिस्थितियों में, तत्काल मामला तालुकदार में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से कवर किया गया है जैसा कि जतिंदर सिंह और पूनम चंद जैन में समझाया गया है-इस प्रकार उच्च न्यायालय दूसरी शिकायत को बनाए रखने योग्य ठहराने में उचित नहीं था-उच्च न्यायालय का निर्णय अपास्त करना दिया गया और दूसरी शिकायत को बनाए रखने योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1127 ए.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

आयोजित किया गया:**1.** में निर्धारित सिद्धांतों का अनुप्रयोग

जतिंदर सिंह में प्रमथ नाथ तालुकदार बनाम सरोज रंजन सरकार

& ओआरएस**.** वी**.**रंजीत कौर बताती हैं कि "दूसरी शिकायत इस बात पर निर्भर करती है कि शिकायत को पहली बार में कैसे खारिज किया गया"।यह आगे निर्धारित किया गया था कि "यदि शिकायत को खारिज करना योग्यता के आधार पर नहीं था, लेकिन शिकायतकर्ता के उपस्थित होने में चूक होने पर शिकायतकर्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों पर दूसरी शिकायत के साथ मजिस्ट्रेट को फिर से स्थानांतरित करने पर कोई रोक नहीं है।लेकिन अगर संहिता की धारा **203** के तहत शिकायत को खारिज करना योग्यता के आधार पर था तो स्थिति अलग हो सकती थी।

बी.

सी.

रणवीर सिंह में इसी तरह के निष्कर्ष हैं और

पूनम चंद जैन।पूनम चंद जैन का पैरा **16** भी

तालुकदार में बहुमत निर्णय के पैरा **50** के प्रभाव पर विचार किया गया।अतः, इन मामलों से पता चलता है कि यदि शिकायत का पूर्व निपटान गुण-दोष के आधार पर और कानून द्वारा ज्ञात तरीके से किया गया था, तो "लगभग समान तथ्यों" पर दूसरी शिकायत जो पहली शिकायत में उठाई गई थी, बनाए रखने योग्य नहीं होगी।क्या हुआ है**?**

डी.

यह निर्धारित किया गया है कि "यदि दोनों शिकायतों का मूल एक ही है",

दूसरी शिकायत पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।**[**पैरा **14] [1144-**ई**-**जी**; 1145-**ए**]**

ई.

2. यदि वर्तमान मामले के तथ्यों पर इन सिद्धांतों के आलोक में विचार किया जाता है, तो यह स्पष्ट है कि पहली शिकायत में पैराग्राफ **3,4** और **5** में बुनियादी आरोप थे कि पिता का वाहन

पिता की मृत्यु के बाद बेचा गया था; कि फॉर्म **29** और **30** पर पिता के हस्ताक्षर जाली थे; कि फॉर्म **29** और **30** के साथ संलग्न हलफनामे पर हस्ताक्षर भी जाली थे; और ऐसे जाली दस्तावेजों के आधार पर

एफ.

"वाहन की बिक्री पर विचार" का लाभ प्राप्त किया गया था

अभियुक्त।न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा पारित दिनांकित **5.7.2013** आदेश से पता चलता है कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं मिला और शिकायत को दंड प्रक्रिया संहिता, **1973** की धारा **203** के तहत खारिज कर दिया गया।पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष लिए गए रुख से पता चलता है कि उस स्तर पर कुछ नए तथ्यों को शिकायतकर्ता के कब्जे में बताया गया था और इस तरह आगे ए के साथ पुनरीक्षण को वापस लेने की स्वतंत्रता मांगी गई थी।

जी.

एच.

1129

समता नायडू और ए. एन. आर. बनाम.मध्य प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

एक नई शिकायत दर्ज करने की स्वतंत्रता।स्वतंत्रता नहीं दी गई थी और यह देखा गया था कि यदि नए तथ्य हैं, तो शिकायतकर्ता कानूनी रूप से एक नई शिकायत प्रस्तुत करने का हकदार होगा और इस तरह न्यायालय से किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं थी।पुनरीक्षण न्यायालय निश्चित रूप से तालुकदार के सिद्धांतों के आधार पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का उल्लेख कर रहा था।इसके बाद क्रेडिट नोट और पंजीकरण प्रमाणपत्र के रूप में नई सामग्री के साथ एक शिकायत दर्ज की गई।हालांकि, मूल आरोप वही रहे।अंतर केवल इतना था कि दूसरी शिकायत में बुनियादी आरोपों के समर्थन में अतिरिक्त सामग्री का उल्लेख किया गया था।फिर से, पूनम चंद जैन में पैरा **16** में प्रवर्धित तालुकदार के पैरा **50** में निर्धारित सिद्धांत के संदर्भ में, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया था कि क्यों कहा गया अतिरिक्त सामग्री उचित परिश्रम के साथ प्राप्त नहीं की जा सकी।**[**पैरा **15] [1145** ए-एफ**]**

बी.

सी.

3. शिवशंकर के तथ्यों के विपरीत, वर्तमान मामला एक अलग आधार पर खड़ा है।वर्तमान मामले में दर्ज की गई पहली शिकायत में कोई कानूनी कमजोरी नहीं थी।शिकायत वाहन की बिक्री के एक साल से अधिक समय बाद दर्ज की गई थी, जिसका अर्थ था कि शिकायतकर्ता

के पास उचित समय था।पहले की शिकायत को खारिज कर दिया गया था जब न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पाया कि कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाया गया था**;** पहले की शिकायत का किसी भी तकनीकी आधार पर निपटारा नहीं किया गया था**;** दूसरी शिकायत में दी गई सामग्री केवल सहायक सामग्री की प्रकृति में थी**;** और दूसरी शिकायत में जिस सामग्री पर भरोसा किया गया था वह ऐसी नहीं थी जिसे पहले प्राप्त नहीं किया जा सकता था।विशेष रूप से**,** दोनों शिकायतों में मुख्य आरोप समान थे।इन परिस्थितियों में**,** तत्काल मामला पूरी तरह से तालुकदार में इस न्यायालय के फैसले द्वारा कवर किया गया है जैसा कि जतिंदर सिंह और पूनम चंद जैन में समझाया गया है।इस प्रकार उच्च न्यायालय ने दूसरी शिकायत को विचारणीय ठहराना उचित नहीं माना।**[**पैरा **17] [1146** एफ**-**एच**; 1147** ए**-**बी**]**

डी.

ई.

एफ.

प्रमथ नाथ तालुकदार बनाम सरोज रंजन सरकार **[1962]** पूरक।एससीआर **297;** जतिंदर सिंह और अन्य बनामरंजीत कौर

जी.

(2001) 2 एससीसी 570:[2001] 1 एससीआर 707; पूनम चंद जैन और अन्र. वी.फजरू (2010) 2 एस. सी. सी. 631:[2010] 2

एस**.** सी**.** आर**. 109;** उदय शंकर अवस्थी बनाम उत्तर राज्य

प्रदेश और अन्र। (2013) 2 एससीसी 435:[2013] 3 एससीआर 935;

एच.

ए.

रणवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्र। **(2009) 9** एससीसी **642;** रविंदर सिंह बनाम सुखबीर सिंह और अन्य। **(2013) 9**

एससीसी **245:[2013] 1** एस**.** सी**.** आर**. 243-**पर निर्भर।

बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम काली सिंह **(1997) 1** एससीसी **57:[1986] 2** एससीआर **771;** मेजर जनरल।ए**.** एस**.** गौराया और अन्र बनामएस**.** एन**.** ठाकुर और अन्र**. (1986) 2** एससीसी **709;** शिवशंकर सिंह बनाम बिहार राज्य **(2012) 1** एससीसी **130**

बी.

:[2011] 13 एस**.** सी**.** आर**. 247-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

[1962] पूरक।एससीआर **297**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **9**

सी.

[1986] 2 एससीआर **771**

पैरा **13** को संदर्भित किया गया

[2001] 1 एससीआर **707**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **13.1**

(2009) 9 एस**.** सी**.** सी**. 642**

पैरा **13.2** का उल्लेख पैरा **13.3** पर निर्भर करता है।

[2010] 2 एससीआर **109**

डी.

[2013] 3 एससीआर **935**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **13.4**

[2013] 1 एससीआर **243**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **13.5**

[2011] 13 एससीआर **247**

पैरा **13.5** में संदर्भित

(1982) 1 एस**.** सी**.** सी**. 466**

पैरा **13.5** में संदर्भित

ई.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2020 की आपराधिक अपील सं. 367-368।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के 2015 के आपराधिक संशोधन संख्या 2996 में 2016 के आपराधिक संशोधन संख्या 2556 के निर्णय और आदेश से।

एफ.

देवदत्त कामत, वरिष्ठ अधिवक्ता, पाई अमित और राजेश इनामदार, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

सुश्री प्रगति नीखरा, एएएजी, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता, राहुल कौशिक, विवेक सिंह और स्वास्तिक दलाल, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

जी.

एच.

1131

समता नायडू और ए. एन. आर. बनाम.मध्य प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित**,** जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. ये अपीलें 2015 के आपराधिक संशोधन संख्या 2996 और 2016 के आपराधिक संशोधन संख्या 2556 में उच्च न्यायालय 1 द्वारा पारित दिनांक 1 के सामान्य निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती हैं।

बी.

3. 1995 के मारुति-800 वाहन के मालिक जी. एस. नायडू ने अपने पीछे विधवा, तीन बेटे और एक बेटी (जो अविवाहित थे और तब से उनका निधन हो गया है) को छोड़ दिया।उनके दूसरे बेटे (वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता) ने अपने भाई (जी. एस. नायडू के तीसरे बेटे) और उनकी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जो इस प्रकार है:-

सी.

“3. यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायतकर्ता के पिता स्वर्गीय जी. एस. नायडू का निधन 12.12.2001 पर हुआ था।इस संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति इस शिकायत के साथ अनुलग्नक ए/1 के रूप में संलग्न है।

डी.

4. यह प्रस्तुत किया जाता है कि 2.11.2010 पर, उपरोक्त वाहन को प्रत्यर्थी द्वारा फॉर्म 29 और 30 पर शिकायतकर्ता के पिता के जाली हस्ताक्षर करके बेचा गया है और फॉर्म No.29 और 30 के साथ संलग्न हलफनामे पर जाली हस्ताक्षर भी किए गए हैं, यह जानते हुए कि स्वर्गीय जी. एस. नायडू का 12.12.2001 पर निधन हो गया है।प्रपत्र No.29 और 30 की एक वास्तविक प्रति और शपथ पत्र इसके साथ अनुलग्नक ए/2 के रूप में दाखिल किया जा रहा है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिस तारीख को वाहन बेचा गया था, जिसका स्वामित्व जी. एस. नायडू के पास था, शिकायतकर्ता के पिता नहीं रहे।

ई.

एफ.

5. यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने वाहन को बेचने के लिए स्वर्गीय जी. एस. नायडू के जाली हस्ताक्षर किए हैं, यह जानते हुए कि उनका निधन हो गया है।यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तरदाताओं द्वारा जाली बनाए गए दस्तावेजों का उपयोग बाद में वाहन की बिक्री के रूप में लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया है।प्रतिवादियों के कार्य में आई. पी. सी. की धारा 409,420,467,468 और 471 के तहत दंडनीय अपराध शामिल हैं और इसलिए, प्रतिवादियों को तदनुसार दंडित किया जा सकता है।इसलिए, वर्तमान शिकायत इस माननीय न्यायालय के समक्ष दायर की जा रही है।"

जी.

एच.

1 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, प्रधान पीठ, जबलपुर

ए.

4. शिकायत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर के समक्ष आई, जिन्होंने अपने दिनांक 05.07.2013 के आदेश से निम्नलिखित निष्कर्ष निकालाः- "शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और दस्तावेज के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी सामता नायडू और दिलीप नायडू के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है।

बी.

इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के तहत शिकायत को खारिज कर दिया जाता है और इस तरह खारिज कर दिया जाता है।"

5. शिकायतकर्ता ने व्यथित होकर जबलपुर के आठवें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की।05.03.2014 पर शिकायतकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि वह कुछ नए तथ्यों के आधार पर एक नई शिकायत दर्ज करने की स्वतंत्रता के साथ संशोधन को वापस लेना चाहते हैं, जिसका अनुरोध का विरोध किया गया था।अभिलेख पर विचार करने और प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, पुनरीक्षण न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः-

सी.

"यह अच्छी तरह से तय स्थिति है कि नई शिकायत किसी भी समय नए तथ्यों के आधार पर दायर की जा सकती है और जिसके लिए इस न्यायालय की अनुमति या किसी भी न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।क्योंकि संशोधनवादी अब तत्काल संशोधन पर जोर नहीं देना चाहते हैं, इसलिए केवल इसी आधार पर तत्काल संशोधन को खारिज कर दिया जाता है। इस प्रकार पुनरीक्षण याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।"

डी.

6. इसके बाद, 2014 की शिकायत मामला संख्या 9226 को शिकायतकर्ता द्वारा समान आरोपों पर पेश किया गया था, लेकिन उक्त शिकायत के पैराग्राफ 5,6 और 7 में दी गई अतिरिक्त सामग्री पर भरोसा करते हुए, सामग्री थीः-

ई.

क) वाहन का मूल्यांकन करने के बाद स्टैंडर्ड ऑटो एजेंसी, जबलपुर के प्रतिनिधियों द्वारा अपीलार्थियों के अनुरोध पर जारी किए गए <ID1,500/- के योग में क्रेडिट नोट।

एफ.

ख) यह तथ्य कि उक्त राशि Rs.37,500/- को बाद में पहले अपीलार्थी के नाम पर एक नए वाहन की खरीद के लिए समायोजित किया गया था।

ग) प्रथम अपीलार्थी के नाम से जारी नए वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र।

जी.

घ) आर. टी. ओ. जबलपुर के कार्यालय से प्राप्त उक्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां।

उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया था कि धारा 201, ए के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया जाए

एच.

समता नायडू और ए. एन. आर. बनाम.मध्य प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

409, 420, 467, 468 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 471 (संक्षेप में, "आई. पी. सी".)।

7. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर ने आई. पी. सी. की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में संज्ञान लिया, लेकिन अन्य अपराधों के संबंध में शिकायत को खारिज कर दिया, जिसे शिकायतकर्ता द्वारा 2014 के आपराधिक संशोधन को प्राथमिकता देकर चुनौती दी गई थी।उक्त संशोधन को 9 वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जबलपुर द्वारा अपने दिनांक 1 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी जिसमें मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों पर पुनर्विचार करने और उचित अपराधों के संबंध में संज्ञान लेने के लिए उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था।इस आदेश को अपीलार्थियोंओं द्वारा उच्च न्यायालय में 2015 का आपराधिक संशोधन No.2996 दायर करके चुनौती दी गई थी।

बी.

सी.

8. उच्च न्यायालय में उपरोक्त संशोधन के लंबित रहने के दौरान, मामले को उठाया गया और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर ने शिकायत में कथित सभी अपराधों का संज्ञान लिया। इसके बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-X ने आई. पी. सी. की धारा 120-बी, 420,467,468 और 471 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप तय किए। इस आदेश के कारण उच्च न्यायालय में अपीलार्थियों द्वारा 2016 का आपराधिक संशोधन No.2556 दायर किया गया।उपरोक्त दोनों आपराधिक संशोधनों की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा एक साथ की गई थी।

डी.

ई.

9. इस सवाल पर कि क्या दूसरी शिकायत विचारणीय थी या नहीं, उच्च न्यायालय ने प्रमथा में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया

नाथ तालुकदार बनाम**.** सरोज रंजन सरकार **2** और कहाः**-**

“12. हालाँकि, तत्काल मामले के संदर्भ में, जब हम दोनों शिकायतों की तुलना करते हैं, तो यह स्पष्ट है कि पहली शिकायत दर्ज करने के समय, शिकायतकर्ता को केवल इस तथ्य के बारे में पता था कि आरोपी व्यक्तियों दिलीप और सामता ने एकतरफा रूप से जी. शंकर नायडू की एक कार बेची थी और जो उनकी मृत्यु के बाद संयुक्त पारिवारिक संपत्ति बन गई थी।ऐसा लगता

है कि शिकायतकर्ता को बाद में लेन-देन के विवरण की जानकारी मिल गई है।इसलिए, बाद की शिकायत लेन-देन के विवरण को कहीं अधिक विस्तार से प्रदान करती है।"

एफ.

जी.

इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप की कोई दुर्बलता नहीं पाई और दोनों पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज कर दिया।

2 ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 876 = (1962) पूरक 2 एस. सी. आर. 297

एच.

10. वर्तमान मामलों में नोटिस जारी करते समय इस न्यायालय ने अपीलार्थियोंओं को दो सप्ताह के भीतर इस न्यायालय की रजिस्ट्री में Rs.45,000/- (केवल पैंतालीस हजार रुपये) की राशि जमा करने का निर्देश दिया।उक्त राशि रजिस्ट्री में जमा की जाती है।यह निर्देश इसलिए पारित किया गया था ताकि यदि जी. एस. नायडू के किसी भी उत्तराधिकारी को लगे कि मृतक द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में उनका हिस्सा उन्हें नहीं दिया जा रहा है, तो परिवार के सदस्यों के बीच आंतरिक विवादों/मतभेदों को सुलझाया जा सके।लेकिन इस तरह के सुझाव शिकायतकर्ता को स्वीकार्य नहीं थे।

बी.

11. इसके बाद पक्षों ने दलीलों का आदान-प्रदान किया और मामले की सुनवाई हुई।श्री देवदत्त कामत, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, अपील के समर्थन में पेश हुए।तालुकदार 2 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने संशोधन आवेदनों को खारिज करने में गलती की थी।प्रतिवादी-शिकायतकर्ता की वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने भी उसी निर्णय और उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट अन्य निर्णयों पर भरोसा करते हुए कहा कि चूंकि नई सामग्री पाई गई थी, इसलिए दूसरी शिकायत पर सही तरीके से विचार विद्वान गया और उसका संज्ञान लिया गया।

सी.

डी.

12. दोनों पक्षों द्वारा जिस प्रमुख निर्णय पर भरोसा किया गया है, वह इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा तालुकदार 2 में दिया गया है।न्यायाधीश कपूर द्वारा लिखित बहुमत निर्णय के पैरा 35 में खुलासा किया गया है कि आई. पी. सी. की धारा 109 सहपठित धारा 467 और 471 के तहत एक शिकायत को इन आरोपों पर प्राथमिकता दी गई थी कि कथित रूप से आई. डी. 2 पर निष्पादित समझौते का एक अपंजीकृत विलेख, आई. डी. 1 पर कथित रूप से निष्पादित 1000 शेयरों के संबंध में एक हस्तांतरण विलेख और स्वर्गीय श्री नलिनी रंजन सरकार के हस्ताक्षर वाले बोर्ड की बैठकों की कार्यवाही के कार्यवृत्त को जाली बताया गया था।मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट ने उस शिकायत को खारिज कर दिया जिसके खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष संशोधन को प्राथमिकता दी गई थी।उक्त पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई और मामला इस न्यायालय के समक्ष उठाया गया लेकिन अपील को वापस ले लिया गया। इसके बाद, उन्हीं धाराओं के तहत एक और शिकायत दर्ज की गई।मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट ने दूसरी शिकायत का संज्ञान लिया, जिसके खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में संशोधन का आदेश दिया गया था।यह मामला खंड पीठ के समक्ष आया और इस दलील के समर्थन में अतिरिक्त सामग्री पेश की गई कि दूसरी शिकायत बनाए रखने योग्य थी, जिसे खंड पीठ द्वारा निपटाया गया था।उस ओर से मामला इस न्यायालय को निम्नानुसार भेजा गया थाः- "दूसरी शिकायत दर्ज करने के संबंध में यह अभिनिर्धारित किया गया कि पिछली ए को खारिज करने के बाद एक नई शिकायत पर विचार किया जा सकता है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

1135

समता नायडू और ए. एन. आर. बनाम.मध्य प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

धारा 203 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शिकायत जब स्पष्ट त्रुटि या न्याय का स्पष्ट गर्भपात हुआ या जब नया सबूत सामने आ रहा था।पीठ की राय थी कि सिटी टेलीफोन एक्सचेंज के संबंध में तथ्य एक नया मामला था और क्योंकि प्रमोद रंजन सरकार को मिनट-बुक की फोटोस्टैट प्रति लेने की अनुमति नहीं थी, यह संभव था कि उनका ध्यान सिटी टेलीफोन एक्सचेंज की ओर नहीं खींचा गया था जो प्रासंगिक समय पर अस्तित्व में नहीं था और प्रमोद रंजन सरकार के पास अपनी शिकायत में सिटी एक्सचेंज के मामले का उल्लेख नहीं करने का पर्याप्त कारण था।इसने यह भी माना कि पूर्व मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट श्री चक्रवर्ती ने बड़ी संख्या में गवाहों के साक्ष्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था जो एन. आर. सरकार की

लिखावट और हस्ताक्षर को साबित करने में सक्षम थे और उनके पास उनके साक्ष्य को स्वीकार नहीं करने का कोई उचित कारण नहीं था।इसलिए यह नहीं कहा जा सकता था कि पूर्व मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट के समक्ष मामले की न्यायिक जांच हुई थी; निर्णय बल्कि मनमाना था और इसलिए इसके परिणामस्वरूप न्याय की स्पष्ट विफलता हुई।इसलिए न्यायालय की राय थी कि मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट श्री बिजोयेश मुखर्जी के निष्कर्ष से अलग होने का कोई कारण नहीं है और अपीलार्थियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है।"

बी.

सी.

डी.

12.1 इस मुद्दे पर इस न्यायालय के बहुमत निर्णय द्वारा निम्नलिखित रूप में विचार किया गया थाः-

ई.

"48. दंड प्रक्रिया संहिता के तहत "मजिस्ट्रेटों को शिकायत" के विषय पर दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 16 में विचार किया गया है।इस मामले के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक प्रावधान धारा 200,202 और 203 हैं।धारा 200 शिकायतकर्ताओं की जांच से संबंधित है और धारा 202,203 और 204 शिकायत को खारिज करने या प्रक्रिया जारी करने के संबंध में मजिस्ट्रेट की शक्तियों से संबंधित है।धारा 202 और 203 का दायरा और विस्तार वादिलाल पांचाल बनाम में निर्धारित किया गया था।

एफ.

दत्तात्रेय दुलाजी घड़ीगांवकर 3.जाँच के दायरे के तहत

धारा 202 शिकायत की सच्चाई या अन्यथा का पता लगाने तक सीमित है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि प्रक्रिया जारी की जानी चाहिए या नहीं और धारा 203 यह निर्धारित करती है कि इस उद्देश्य के लिए किन सामग्रियों पर विचार किया जाना चाहिए।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के तहत मजिस्ट्रेट को जो निर्णय देना है, वह इस पर आधारित होना चाहिए -

जी.

3 आकाशवाणी 1960 एससी 1113

एच.

शिकायतकर्ता और उसके गवाहों के बयान और जाँच या जाँच का परिणाम, यदि कोई हो।उसे सामग्री पर अपना दिमाग लगाना चाहिए और अपना निर्णय लेना चाहिए कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं।इसलिए यदि उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत की गई जांच के दायरे के बारे में खुद को गलत तरीके से निर्देशित नहीं किया है, और न्यायिक रूप से अपने सामने की सामग्री पर अपना दिमाग लगाया है और फिर अपना आदेश देने के लिए आगे बढ़ता है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने गलत तरीके से काम किया है।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के तहत बर्खास्तगी का आदेश, हालांकि, समान तथ्यों पर दूसरी शिकायत दर्ज करने के लिए कोई बाधा नहीं है, लेकिन इसे केवल असाधारण परिस्थितियों में ही स्वीकार किया जाएगा, उदाहरण के लिए, जहां पिछला आदेश एक अपूर्ण रिकॉर्ड पर या शिकायत की प्रकृति की गलतफहमी पर पारित किया गया था या यह स्पष्ट रूप से बेतुका, अन्यायपूर्ण या मूर्खतापूर्ण था या जहां नए तथ्य जो उचित परिश्रम के साथ, पिछली कार्यवाही में रिकॉर्ड पर नहीं लाए जा सकते थे, पेश किए गए हैं।यह न्याय के हित में नहीं कहा जा सकता है कि शिकायतकर्ता के खिलाफ उसके मामले पर पूर्ण विचार करने के बाद निर्णय दिए जाने के बाद, उसे या किसी अन्य व्यक्ति को उसकी शिकायत की जांच करने का एक और अवसर दिया जाना चाहिए।अल्लाह तआला।

बी.

सी.

डी.

डिट्टो बनाम करम बक्श 4; राम नारायण चौबे बनाम पनाचंद जैन 5; हंसाबाई सयाजी पायागुडे बनाम आनंद गनुजी

पायागुडे 6 दोराइसामी बनाम सुब्रमण्यम 7.एक नई शिकायत लाने के लिए नए तथ्यों को प्रस्तुत करने के संबंध में अपील के तहत निर्णय में विशेष पीठ ने उपरोक्त उद्धृत मामलों में बॉम्बे उच्च न्यायालय या पटना उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया और क्वीन एम्प्रेस बनाम डोलेगोबिंदा दास 8 में मैक्लीन, सी. जे. की राय को अपनाया।

ई.

एफ.

द्वारका नाथ मंडल बनाम बेनीमाधास बनर्जी 9.इसलिए यह माना गया कि

कि एक नई शिकायत पर विचार किया जा सकता है जहां स्पष्ट त्रुटि है, या पिछले आदेश में न्याय का स्पष्ट गर्भपात है या जब नया सबूत आ रहा है।”

12.2 यह पैरा 50 में निम्नानुसार देखा गया थाः-

जी.

4 एयर 1930 लाह 879 5 एयर 1949 पैट 256 6 एयर 1949 बम 384 7 एयर 1918 मैड 484 8 आईएलआर 28 कैल 211

9 आई. एल. आर. 28 कैल 652 (एफ. बी.)

एच.

1137

समता नायडू और ए. एन. आर. बनाम.मध्य प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

ए.

“50. सबसे पहले नए साक्ष्य के प्रश्न को लेते हुए, कुछ उच्च न्यायालयों का यह विचार कि यह ऐसा होना चाहिए कि इसे उचित परिश्रम के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, हमारी राय में, कानून के बारे में एक सही दृष्टिकोण है।यह कानून नहीं हो सकता है कि शिकायतकर्ता पहले मजिस्ट्रेट के सामने अपने कब्जे में कुछ तथ्यों और साक्ष्यों को रख सके और यदि वह विफल रहता है तो वह कुछ और साक्ष्य आदि पेश कर सकता है।यह हमारी राय में कानून का सही दृष्टिकोण नहीं है।”

बी.

12.3 बहुमत के फैसले ने इस प्रकार चुनौती को स्वीकार कर लिया, अपील की अनुमति दी और निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ शिकायत को खारिज कर दियाः- “61. इन परिस्थितियों में, हमारी राय है कि नई शिकायत लाना न्यायालय की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और इसका उद्देश्य न्याय के हितों को आगे बढ़ाना नहीं है।... ... ...

सी.

63. इन कारणों से हम अपील की अनुमति देते हैं, उच्च न्यायालय और विद्वान मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट के आदेश को अपास्त करना देते हैं और शिकायत को खारिज कर देते हैं।”

डी.

12.4 असहमति की राय एस. के. दास, जे. 13 द्वारा व्यक्त की गई थी।तालुकदार 2 में घोषित कानून का लगातार पालन किया गया है।

उदाहरण के लिए**,** बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम काली सिंह **10** में यह था

ई.

देखा गयाः“अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि दूसरी शिकायत केवल नए तथ्यों पर या यहां तक कि पिछले तथ्यों पर ही हो सकती है यदि कोई विशेष मामला

बनाया गया "।बिंदेश्वरी 10 में लिए गए दृश्य का पालन मेजर में किया गया था।

जनरल।ए. एस. गौराया और एक अन्य बनाम। एस. एन. ठाकुर और अन्य **11**। **13.1** जतिंदर सिंह और अन्य बनाम रंजीत कौर मामले में **12**

एफ.

यह था कि क्या पहली शिकायत चूक के लिए खारिज कर दी गई है, क्या दूसरी शिकायत को बनाए रखा जा सकता है।इस मामले पर निम्नानुसार विचार किया गयाः- "9. संहिता या किसी अन्य कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो शिकायतकर्ता को उन्हीं आरोपों पर दूसरी शिकायत को प्राथमिकता देने से रोकता है यदि पहली शिकायत के परिणामस्वरूप दोषसिद्धि या बरी या यहां तक कि आरोपमुक्त भी नहीं किया गया था।संहिता की धारा 300, जो दूसरे मुकदमे पर रोक लगाती है, ने यह समझाने का ध्यान रखा है कि "किसी शिकायत को खारिज करना, या आरोपी को आरोपमुक्त करना, बरी करना नहीं है।

जी.

10 (1997) 1 एससीसी 57 11 (1986) 2 एससीसी 709 12 (2001) 2 एससीसी 570

एच.

इस धारा के प्रयोजनों के लिए।हालाँकि, जब कोई मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 202 के तहत जांच करता है और शिकायत को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर देता है, तो उन्हीं तथ्यों पर दूसरी शिकायत तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि बहुत ही असाधारण परिस्थितियाँ न हों।फिर भी, दूसरी शिकायत की अनुमति इस बात पर निर्भर करती है कि शिकायत को पहली बार में कैसे खारिज किया गया।

बी.

... ...

12. यदि शिकायत को खारिज करना योग्यता के आधार पर नहीं था, लेकिन शिकायतकर्ता के उपस्थित होने में चूक होने पर शिकायतकर्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों पर दूसरी शिकायत के साथ मजिस्ट्रेट को फिर से स्थानांतरित करने पर कोई रोक नहीं है।लेकिन अगर संहिता की धारा 203 के तहत शिकायत को खारिज करना गुण-दोष पर था तो स्थिति अलग हो सकती है।पहले इस बात पर मतभेद दिखाई दिया कि क्या दूसरी शिकायत तब दायर की जा सकती थी जब बर्खास्तगी धारा 203 के तहत थी।विवाद सुलझा लिया गया

सी.

इस न्यायालय द्वारा प्रमथ नाथ तालुका बनाम सरोज रंजन सरकार 2 में।ए.

तीन न्यायाधीशों की पीठ के अधिकांश न्यायाधीशों ने इस प्रकार निर्णय दिया:"दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के तहत बर्खास्तगी का आदेश, हालांकि, समान तथ्यों पर दूसरी शिकायत दर्ज करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन इसे केवल असाधारण परिस्थितियों में ही स्वीकार किया जाएगा, उदाहरण के लिए, जहां पिछला आदेश अपूर्ण रिकॉर्ड पर या शिकायत की प्रकृति की गलतफहमी पर पारित किया गया था या यह स्पष्ट रूप से बेतुका, अन्यायपूर्ण या मूर्खतापूर्ण था या जहां नए तथ्य जो उचित परिश्रम के साथ, पिछली कार्यवाही में रिकॉर्ड पर नहीं लाए जा सकते थे, पेश किए गए हैं।यह न्याय के हित में नहीं कहा जा सकता है कि उसके मामले पर पूर्ण विचार करने के बाद शिकायत के खिलाफ निर्णय दिए जाने के बाद, उसे या किसी अन्य व्यक्ति को उसकी शिकायत की जांच करने का एक और अवसर दिया जाना चाहिए।"

डी.

ई.

एफ.

एस. के. दास, जे. (जैसा कि वे तब थे) ने उक्त बहुमत के दृष्टिकोण से असहमति जताते हुए यह रुख अपनाया था कि शिकायतकर्ता के दूसरी शिकायत दर्ज करने के अधिकार को इस तरह के विचारों से भी बाधित नहीं किया जाएगा।लेकिन किसी भी तरह से बहुमत का विचार है कि दूसरी शिकायत बनाए रखने योग्य होगी यदि पहली शिकायत को गुण-दोष के आधार पर खारिज नहीं किया गया था।"

जी.

(जोर दिया गया)

एच.

1139

समता नायडू और ए. एन. आर. बनाम.मध्य प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

ए.

13.2.रणवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य **13** में

इस मुद्दे को निर्णय के पैरा 23 में निर्धारित किया गया था और उसके बाद हुई चर्चा इस प्रकार थी:-

“23. तत्काल मामले में, सवाल को और कम किया जाता है कि क्या ऐसी दूसरी शिकायत बनाए रखने योग्य होगी जब पहले वाली शिकायत को गुण-दोष के आधार पर खारिज नहीं किया गया था, बल्कि शिकायतकर्ता द्वारा सेवा को प्रभावित करने के लिए प्रक्रिया शुल्क लगाने में विफलता के लिए।24. इसका उत्तर सबसे पहले प्रमथ नाथ तालुका मामले 2 में दिया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि भले ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के तहत कोई शिकायत खारिज कर दी गई हो, फिर भी दूसरी शिकायत असाधारण परिस्थितियों में होगी, जिसका पहले संकेत दिया गया है।उक्त दृष्टिकोण को इस न्यायालय के बाद के फैसलों में लगातार बरकरार रखा गया है।बेशक, बर्खास्तगी के आदेश को वापस लेने के लिए प्रार्थना करने का सवाल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 362 को देखते हुए विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारणीय नहीं होगा, लेकिन इन विशेष अनुमति याचिकाओं में ऐसा नहीं है। 25. वर्तमान मामलों में न तो शिकायतों को योग्यता के आधार पर खारिज विद्वान गया है और न ही उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के स्तर पर खारिज विद्वान गया है। दूसरी ओर, केवल एक प्रथम दृष्टया मामले से संतुष्ट होने पर, विद्वान मजिस्ट्रेट ने शिकायत पर प्रक्रिया जारी की थी।26. उक्त स्थिति मुख्य रूप से जतिंदर सिंह मामले 12 में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा कवर की गई है, जिसमें प्रमथ नाथ तालुकदार मामले 2 में निर्णय पर भी विचार किया गया था और यह स्पष्ट रूप से देखा गया था कि संहिता में किसी भी प्रावधान के अभाव में उसी आरोप पर दूसरी शिकायत दर्ज करने के अलावा, उसी तथ्यों पर दूसरी शिकायत दर्ज करने पर कोई रोक नहीं होगी यदि पहली शिकायत के परिणामस्वरूप अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया गया या बरी नहीं किया गया या यहां तक कि आरोपमुक्त भी नहीं किया गया, और यदि बर्खास्तगी योग्यता के आधार पर नहीं थी, बल्कि शिकायतकर्ता की ओर से चूक के कारण थी।”

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

13.3.पूनम चंद जैन और एक अन्य बनाम फजरू **14** में मुद्दा

जी.

क्या पहले की शिकायत को खारिज करने के बाद अंतिम रूप दिया गया था, क्या समान तथ्यों पर दूसरी शिकायत को बनाए रखा जा सकता था, इस पर विचार किया गया थाः-

13 (2009) 9 एससीसी 642 14 (2010) 2 एससीसी 631

एच.

“14. इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय द्वारा जो प्रश्न निर्धारित किया जाता है, वह यह है कि क्या शिकायत को खारिज करने के आदेश के अंतिम रूप देने के बाद, शिकायतकर्ता दूसरी शिकायत में पहली शिकायत दर्ज करने या उसे खारिज करने के तथ्य का खुलासा किए बिना लगभग समान तथ्यों पर दूसरी शिकायत दर्ज कर सकता है।

बी.

15. लगभग इसी तरह के प्रश्न पहले विचार के लिए सामने आए थे।

यह न्यायालय प्रमथ नाथ तालुका बनाम सरोज रंजन सरकार 2 में है।

प्रमथ नाथ 2 में बहुमत निर्णय कपूर, जे. हिज लॉर्डशिप द्वारा दिया गया था कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 203 (संक्षेप में "संहिता") के तहत बर्खास्तगी का आदेश, हालांकि, समान तथ्यों पर दूसरी शिकायत के मनोरंजन के लिए कोई बाधा नहीं है, लेकिन इसे केवल असाधारण परिस्थितियों में ही स्वीकार किया जा सकता है।इस न्यायालय ने असाधारण परिस्थितियों की व्याख्या इस प्रकार कीः

सी.

(क) जहाँ पिछला आदेश अपूर्ण अभिलेख पर पारित किया गया था, या

डी.

(ख) शिकायत की प्रकृति की गलतफहमी पर, या (ग) जो आदेश पारित किया गया था वह स्पष्ट रूप से बेतुका, अन्यायपूर्ण या मूर्खतापूर्ण था, या

(घ) जहां नए तथ्य जो उचित परिश्रम के साथ, पिछली कार्यवाहियों में अभिलेख पर नहीं लाए जा सकते थे।16. प्रमथ नाथ 2 में इस न्यायालय ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया कि न्याय के हित में यह अनुमति नहीं दी जा सकती है कि मामले पर पूर्ण विचार करने के बाद शिकायत पर निर्णय दिए जाने के बाद, शिकायतकर्ता को शिकायत की फिर से जांच करने का एक और अवसर दिया जाना चाहिए।फैसले के पैरा 50 में इस न्यायालय के बहुमत वाले फैसले में कहा गया है कि नए साक्ष्य या नए तथ्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें उचित परिश्रम के साथ रिकॉर्ड पर नहीं लाया जा सकता है।इस न्यायालय ने बहुत स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि यह समझौता कानून नहीं हो सकता है जो शिकायतकर्ता को मजिस्ट्रेट के समक्ष कुछ सबूत रखने की अनुमति देता है जो उसके कब्जे में हैं और फिर यदि शिकायत खारिज कर दी जाती है तो कुछ और सबूत पेश करें।इस न्यायालय के अनुसार, कानून के सही दृष्टिकोण पर इस तरह के पाठ्यक्रम की अनुमति नहीं है।(पैरा 50, पृ. 899)

ई.

एफ.

जी.

17. जतिंदर सिंह बनाम रंजीत कौर 12 के मामले में यह सवाल फिर से इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया।वहाँ भी ए द्वारा यह न्यायालय

एच.

1141

समता नायडू और ए. एन. आर. बनाम.मध्य प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

प्रमथ नाथ 2 के सिद्धांत पर भरोसा करते हुए कहा गया कि संहिता या किसी अन्य कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो शिकायतकर्ता को उसी आरोप पर दूसरी शिकायत दर्ज करने से रोकता है जैसा कि पहली शिकायत में था।लेकिन इस न्यायालय ने कहा कि जब एक मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 202 के तहत जांच करता है और योग्यता के आधार पर शिकायत को खारिज करता है तो उसी तथ्यों पर दूसरी शिकायत तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि "असाधारण परिस्थितियां" न हों।इस न्यायालय ने पैरा 12 में अभिनिर्धारित किया कि यदि पहली शिकायत को खारिज करना योग्यता के आधार पर नहीं है, लेकिन बर्खास्तगी शिकायतकर्ता की चूक के लिए है, तो उन्हीं तथ्यों पर दूसरी शिकायत दर्ज करने में कोई बाधा नहीं है।हालाँकि, यदि संहिता की धारा 203 के तहत शिकायत को खारिज करना योग्यता के आधार पर था, तो स्थिति अलग होगी।

बी.

सी.

18. ऐसा कहते हुए, रंजीत कौर 12 के विद्वान न्यायाधीशों ने अभिनिर्धारित विद्वान कि इस न्यायालय द्वारा प्रमथ नाथ 2 में विवाद का निपटारा विद्वान गया है और प्रमथ नाथ 2 के पैरा 48 में न्यायमूर्ति कपूर की टिप्पणी का हवाला दिया:(आकाशवाणी पृष्ठ 899, पैरा 48)

डी.

“48. ... दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के तहत बर्खास्तगी का आदेश, हालांकि, समान तथ्यों पर दूसरी शिकायत दर्ज करने के लिए कोई बाधा नहीं है, लेकिन इसे केवल असाधारण परिस्थितियों में ही स्वीकार किया जाएगा, उदाहरण के लिए जहां पिछला आदेश एक अपूर्ण रिकॉर्ड पर या शिकायत की प्रकृति की गलतफहमी पर पारित किया गया था या यह स्पष्ट रूप से बेतुका, अन्यायपूर्ण या मूर्खतापूर्ण था या जहां नए तथ्य जो उचित परिश्रम के साथ, पिछली

कार्यवाही में रिकॉर्ड पर नहीं लाए जा सकते थे, पेश किए गए हैं।यह न्याय के हित में नहीं कहा जा सकता है कि शिकायतकर्ता के खिलाफ उसके मामले पर पूर्ण विचार करने के बाद निर्णय दिए जाने के बाद, उसे या किसी अन्य व्यक्ति को उसकी शिकायत की जांच करने का एक और अवसर दिया जाना चाहिए।"

ई.

एफ.

19. महेश चंद बनाम बी. जनार्दन रेड्डी 15 में फिर से, एक तीन -

इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ ने पी. 19 में इस प्रश्न पर विचार किया।740 रिपोर्ट से।इस न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने अभिनिर्धारित विद्वान कि दूसरी शिकायत पूरी तरह से वर्जित नहीं है और न ही ऐसे मामले में समान तथ्यों पर दूसरी शिकायत दर्ज करने में कोई वैधानिक बाधा है जहां पिछली शिकायत को बिना कोई कारण बताए खारिज कर दिया गया था। संहिता की धारा 204 के तहत मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान ले सकते हैं और यदि इसके लिए पर्याप्त आधार है तो प्रक्रिया जारी कर सकते हैं।

जी.

15 ए. आई. आर 2003 एस. सी. 702

एच.

आगे बढ़ रहे हैं।महेश चंद 15 में इस न्यायालय ने प्रमथ नाथ 2 में अनुपात पर भरोसा किया और कहा कि यदि पहली शिकायत खारिज कर दी गई थी तो दूसरी शिकायत पर केवल असाधारण परिस्थितियों में ही विचार किया जा सकता है और उसके बाद प्रमथ नाथ 2 में बताई गई असाधारण परिस्थितियों को दोहराया गया।इसलिए, इस न्यायालय का मानना है कि प्रमथ नाथ 2 में अनुपात अभी भी क्षेत्र में है।इसी सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा हीरा लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में एक बार फिर दोहराया गया है। 16 निर्णय के पैरा 14 में इस न्यायालय ने महेश चंद 15 में अनुपात को स्पष्ट रूप से उद्धृत किया है, जिस पर यहाँ ऊपर चर्चा की गई है।

बी.

20. उपरोक्त सिद्धांतों का पालन करते हुए जो कमोबेश 1962 से स्थापित हैं और इस न्यायालय द्वारा बार-बार पालन किया जा रहा है, हमारा विचार है कि इस मामले में दूसरी

शिकायत लगभग समान तथ्यों पर थी जो पहली शिकायत में उठाए गए थे और जिसे गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था।इसलिए दूसरी शिकायत विचारणीय नहीं है।इस न्यायालय ने पाया कि दोनों शिकायतों का मूल एक ही है।दूसरी शिकायत में कुछ भी खुलासा नहीं किया गया है जो काफी हद तक नई है और पहली शिकायत में खुलासा नहीं किया गया है। ऐसा कोई मामला नहीं बनाया गया है कि उचित परिश्रम करने के बाद भी दूसरी शिकायत में आरोप लगाए गए तथ्य पहले शिकायतकर्ता के दायरे में नहीं थे।वास्तव में, ऐसा मामला नहीं बनाया जा सका क्योंकि दोनों शिकायतों में तथ्य लगभग समान हैं।इसलिए, दूसरी शिकायत प्रमथ नाथ 2 में वर्णित असाधारण परिस्थितियों में शामिल नहीं है।मामले के उस दृष्टिकोण से इस मामले के तथ्यों में दूसरी शिकायत पर विचार नहीं किया जा सकता है।"

सी.

डी.

ई.

(आपूर्ति पर जोर दिया गया)

एफ.

13.4.उदय शंकर अवस्थी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में

और अन्य 17, जहां शिकायतकर्ता की ओर से गवाहों की जांच के बाद पहले की शिकायत को खारिज कर दिया गया था, मामले को निम्नानुसार निपटाया गया थाः-

"47. तत्काल अपीलों को किशन सिंह 18 में की गई टिप्पणियों द्वारा पूरी तरह से शामिल किया गया है और इस प्रकार, कार्यवाही को न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं के रूप में लेबल किया जाना चाहिए।

जी.

16 (2009) 11 एस. सी. सी 89

17 (2013) 2 एससीसी 435

18 (2010) 8 एस. सी. सी. 775 (किशन सिंह बनाम गुरपाल सिंह)

एच.

1143

समता नायडू और ए. एन. आर. बनाम.मध्य प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

ए.

विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक ही विषय-वस्तु को लागू करने के संबंध में, प्रत्यर्थी 2 और उसके भाई द्वारा पहले ही विभिन्न शिकायत मामले दायर किए जा चुके थे, जो सभी गवाहों की जांच के बाद गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिए गए थे।ऐसी तथ्य स्थिति में, 31-5-2001 पर दायर 2011 का शिकायत मामला संख्या 628 विचारणीय नहीं था।इस प्रकार, संबंधित मजिस्ट्रेट ने उक्त मामले पर विचार करके एक गंभीर त्रुटि की, और गलत तरीके से संज्ञान लिया और अपीलार्थियों को समन जारी किया।"

बी.

13.5.रविंदर सिंह बनाम सुखबीर सिंह और अन्य **19** में

इस दृष्टिकोण से मामले पर विचार किया गया कि क्या एक हताश वादी को अपनी हताशा को उजागर करने की अनुमति दी जानी चाहिए और क्या किसी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए प्रतिशोध की अनुमति दी जानी चाहिए।चर्चा इस प्रकार थीः-

सी.

"26. शिवशंकर सिंह बनाम बिहार राज्य 20 मामले में इस न्यायालय ने अपने पहले के निर्णयों पर विचार करने के बाद इस मुद्दे पर विचार किया

प्रमथ नाथ तालुका बनाम सरोज रंजन सरकार 2, जतिंदर सिंह बनाम रंजीत कौर 12, महेश चंद बनाम बी. जनार्दन रेड्डी 15 और पूनम चंद जैन बनाम फजरू 21 में कहा गयाः(शिवशंकर

डी.

सिंह मामला 20, एस. सी. सी. पी.136, पैरा 18) "18. ... यह स्पष्ट है कि कानून समान तथ्यों पर भी दूसरी शिकायत दर्ज करने या उस पर विचार करने से मना नहीं करता है, बशर्ते कि पहले की शिकायत का निर्णय अपर्याप्त सामग्री के आधार पर किया गया हो या आदेश पारित किया गया हो, शिकायत की प्रकृति को समझे बिना या पूर्ण तथ्यों को न्यायालय के समक्ष नहीं रखा जा सका हो या जहां शिकायतकर्ता को पहली शिकायत के निपटारे के बाद कुछ तथ्यों का पता चला हो, जिससे संतुलन उसके पक्ष में झुक सकता था।हालाँकि, दूसरी शिकायत बनाए रखने योग्य नहीं होगी जिसमें शिकायतकर्ता के मामले पर योग्यता के आधार पर पूर्ण विचार करने पर पहले की शिकायत का निपटारा कर दिया गया हो।"

ई.

एफ.

27. चंद्रपाल सिंह बनाम महाराज सिंह 22 मामले में इस न्यायालय ने

उन्होंने कहा कि यह भी उतना ही सच है कि दुखी और हताश वादियों को सस्ते तरीके से आपराधिक अदालतों के अधिकार क्षेत्र को लागू करने में सक्षम बनाकर अपनी हताशा को दूर करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

जी.

19 (2013) 9 एससीसी 245 20 (2012) 1 एससीसी 130 21 (2004) 13 एससीसी 269 22 (1982) 1 एससीसी 466

एच.

ऐसी वास्तविक स्थिति में न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में संकोच नहीं करना चाहिए।

... ...

33. उच्च न्यायालय ने इसमें शामिल मुद्दे पर विचार किया है और स्वयं प्रत्यर्थी 1 के कहने पर मामला बंद हो गया।इसलिए, उस आधार पर नए सिरे से आपराधिक मुकदमा शुरू करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है।असाधारण स्थिति से निपटने में न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति न्याय के प्रशासन के व्यापक हित में और प्रकट अन्याय को होने से रोकने के लिए है।इस प्रकार, न्याय के प्रशासन के क्रम में किसी गलती को पूर्ववत करना और अनावश्यक न्यायिक प्रक्रिया को जारी रखने से रोकना न्यायालय का एक न्यायिक दायित्व है।अनावश्यक उत्पीड़न के संचालन के साधन के रूप में आपराधिक अभियोजन के खतरे पर अंकुश लगाना इतना आवश्यक हो सकता है।किसी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए प्रतिशोध की अनुमति नहीं दी जा सकती है।प्रत्यर्पण न्याय न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति में अंतर्निहित है और पूरा विचार वास्तविक, पूर्ण और पर्याप्त न्याय करना है जिसके लिए न्यायालयें मौजूद हैं।इस प्रकार, यह न्यायालय का सर्वोच्च कर्तव्य बन जाता है कि वह एक स्पष्ट रूप से निर्दोष व्यक्ति की रक्षा करे, न कि पूरी तरह से असमर्थनीय शिकायत के आधार पर अभियोजन के अधीन किया जाए।"

बी.

सी.

डी.

ई.

14. तालुकदार 2 में निर्धारित सिद्धांतों का अनुप्रयोग

जतिंदर सिंह 12 से पता चलता है कि "दूसरी शिकायत इस बात पर निर्भर करती है कि शिकायत को कैसे खारिज किया गया।

पहला उदाहरण "।यह आगे निर्धारित किया गया था कि "यदि की बर्खास्तगी

शिकायत योग्यता के आधार पर नहीं थी, लेकिन शिकायतकर्ता के उपस्थित न होने पर शिकायतकर्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों पर दूसरी शिकायत के साथ मजिस्ट्रेट को फिर से स्थानांतरित करने पर कोई रोक नहीं है।लेकिन अगर संहिता की धारा 203 के तहत शिकायत को खारिज करना योग्यता के आधार पर था तो स्थिति अलग हो सकती थी।

एफ.

रणवीर सिंह 13 में भी इसी तरह के निष्कर्ष हैं और

पूनम चंद जैन 14.पूनम चंद जैन 14 का पैरा 16 भी

जी.

तालुका 2 में बहुमत निर्णय के पैरा 50 के प्रभाव पर विचार किया गया।अतः, इन मामलों से पता चलता है कि यदि शिकायत का पूर्व निपटान गुण-दोष के आधार पर और कानून द्वारा ज्ञात तरीके से किया गया था, तो "लगभग समान तथ्यों" पर दूसरी शिकायत जो पहली शिकायत में उठाई गई थी, बनाए रखने योग्य नहीं होगी।जो निर्धारित किया गया है वह यह है कि "यदि ए का मूल

एच.

1145

समता नायडू और ए. एन. आर. बनाम.मध्य प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

दोनों शिकायतें समान हैं, "दूसरी शिकायत पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

15. यदि वर्तमान मामले के तथ्यों पर इन सिद्धांतों के आलोक में विचार किया जाता है, तो यह स्पष्ट है कि पहली शिकायत में पैराग्राफ 3,4 और 5 में बुनियादी आरोप थे कि पिता का वाहन पिता की मृत्यु के बाद बेचा गया था; कि फॉर्म 29 और 30 पर पिता के हस्ताक्षर जाली थे; कि फॉर्म 29 और 30 के साथ संलग्न हलफनामे पर हस्ताक्षर भी जाली थे; और ऐसे जाली दस्तावेजों के आधार पर "वाहन की बिक्री पर विचार" का लाभ अभियुक्त द्वारा प्राप्त किया गया था।न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा पारित दिनांक 5.7.2013 आदेश से पता चलता है कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, कोई प्रथम

दृष्टया मामला नहीं पाया गया और शिकायत को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 203 के तहत खारिज कर दिया गया था।पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष लिए गए रुख से पता चलता है कि उस स्तर पर कुछ नए तथ्यों को शिकायतकर्ता के कब्जे में कहा गया था और इस तरह से पुनरीक्षण को वापस लेने की स्वतंत्रता के साथ एक नई शिकायत दर्ज करने की और अधिक स्वतंत्रता मांगी गई थी।स्वतंत्रता नहीं दी गई थी और यह देखा गया था कि यदि नए तथ्य हैं, तो शिकायतकर्ता कानूनी रूप से एक नई शिकायत प्रस्तुत करने का हकदार होगा और इस तरह न्यायालय से किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं थी।पुनरीक्षण न्यायालय निश्चित रूप से इस न्यायालय द्वारा तालुकदार 2 के सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित कानून का उल्लेख कर रहा था।इसके बाद क्रेडिट नोट और पंजीकरण प्रमाणपत्र के रूप में नई सामग्री के साथ एक शिकायत दर्ज की गई।हालांकि, मूल आरोप वही रहे।अंतर केवल इतना था कि दूसरी शिकायत में बुनियादी आरोपों के समर्थन में अतिरिक्त सामग्री का उल्लेख किया गया था।फिर से, पूनम चंद जैन 14 में पैरा 16 में प्रवर्धित तालुकदार 2 के पैरा 50 में निर्धारित सिद्धांत के संदर्भ में, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था कि उक्त अतिरिक्त सामग्री को उचित परिश्रम के साथ क्यों प्राप्त नहीं किया जा सका।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

16. हालाँकि, वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने शिवशंकर सिंह 20 मामले विद्वान इस न्यायालय के फैसले के पैरा 18 पर रिलायंस को रखा था।उस मामले में पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट दायर करने से पहले ही शिकायतकर्ता द्वारा एक विरोध याचिका दायर की गई थी।जबकि कहा गया कि विरोध याचिका विचाराधीन थी, अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी, जिसके बाद दूसरी विरोध याचिका दायर की गई थी।अभियुक्त द्वारा उठाई गई चुनौती कि दूसरी विरोध याचिका विचारणीय नहीं थी, उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई।इन तथ्यों के आलोक में इस न्यायालय द्वारा इस मामले पर निम्नानुसार विचार किया गयाः-

जी.

एच.

“7. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव अग्रवाल ने कहा है कि उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने से पहले दायर की गई तथाकथित पहली विरोध याचिका विचारणीय नहीं थी और इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए। विद्वान मजिस्ट्रेट ने उक्त विरोध याचिका के आधार पर आगे नहीं बढ़े और यह फाइल में केवल एक दस्तावेज बना रहा।दूसरी याचिका एकमात्र विरोध याचिका थी जिस पर विचार किया जा सकता था क्योंकि यह अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बाद दायर की गई थी।

बी.

18. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि कानून समान तथ्यों पर भी दूसरी शिकायत दर्ज करने या उस पर विचार करने से मना नहीं करता है, बशर्ते कि पहले की शिकायत का निर्णय अपर्याप्त सामग्री के आधार पर किया गया हो या आदेश पारित किया गया हो, शिकायत की प्रकृति को समझे बिना या पूर्ण तथ्यों को न्यायालय के समक्ष नहीं रखा जा सका हो या जहां शिकायतकर्ता को पहली शिकायत के निपटारे के बाद कुछ तथ्यों का पता चला हो, जिससे संतुलन उसके पक्ष में झुक सकता था।हालाँकि, दूसरी शिकायत बनाए रखने योग्य नहीं होगी जिसमें शिकायतकर्ता के मामले पर योग्यता के आधार पर पूर्ण विचार करने पर पहले की शिकायत का निपटारा कर दिया गया है।

सी.

डी.

19. विरोध याचिका को हमेशा एक शिकायत के रूप में माना जा सकता है और दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XV के संदर्भ में आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए, यदि समान तथ्यों पर दूसरी शिकायत पर विचार करने के लिए कोई रोक नहीं है, तो असाधारण परिस्थितियों में, दूसरी विरोध याचिका पर भी इसी तरह केवल असाधारण परिस्थितियों में ही विचार किया जा सकता है।यदि पहली विरोध याचिका मामले का फैसला करने के लिए आवश्यक पूर्ण तथ्यों/विवरणों को प्रस्तुत किए बिना दायर की गई है, और न्यायालय द्वारा इसके मनोरंजन से पहले, पूर्ण विवरण देते हुए एक नई विरोध याचिका दायर की जाती है, तो हम यह समझने में विफल रहते हैं कि इसे बनाए रखने योग्य क्यों नहीं होना चाहिए।” (जोर दिया गया)
17.शिवशंकर 20 के तथ्यों के विपरीत, वर्तमान मामला एक अलग आधार पर खड़ा है।वर्तमान मामले में दर्ज की गई पहली शिकायत में कोई कानूनी कमजोरी नहीं थी।शिकायत वाहन की बिक्री के एक साल से अधिक समय बाद दर्ज की गई थी, जिसका अर्थ था कि शिकायतकर्ता के पास उचित समय था।पहले की शिकायत को खारिज कर दिया गया था जब न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पाया कि कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाया गया था; पहले की शिकायत का किसी भी तकनीकी आधार पर निपटारा नहीं किया गया था; दूसरी शिकायत में दी गई सामग्री केवल ए का समर्थन करने की प्रकृति में थी।

ई.

एफ.

जी.

एच.

1147

समता नायडू और ए. एन. आर. बनाम.मध्य प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [उदय उमेश ललित, जे।]

और दूसरी शिकायत में जिस सामग्री पर भरोसा किया गया था, वह ऐसी नहीं थी जिसे पहले प्राप्त नहीं किया जा सकता था।विशेष रूप से, दोनों शिकायतों में मुख्य आरोप समान थे।इन परिस्थितियों में, तत्काल मामला पूरी तरह से इस न्यायालय के फैसले में शामिल है।

तालुकदार **2** जैसा कि जतिंदर सिंह **12** और पूनम चंद में समझाया गया है।

जैन **14.**इस प्रकार उच्च न्यायालय ने दूसरी शिकायत को विचारणीय ठहराना उचित नहीं माना।

बी.

18. उपरोक्त परिसरों में, हम इन अपीलों की अनुमति देते हैं, उच्च न्यायालय के फैसले को अपास्त करनाते हैं और 2014 के शिकायत मामले No.9226 को विचारणीय नहीं होने के रूप में खारिज करते हैं।अपीलार्थियों द्वारा जमा की गई राशि अब उन्हें उस पर उपार्जित ब्याज के साथ वापस कर दी जाएगी।

सी.

अंकित ज्ञान

अपीलों की अनुमति दी गई

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.